आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28.02.2024	**वाद संख्या–01 / 2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री मुस्कान गोप, ग्राम–आमकुली, पो+पंचायत–ओलमुण्डा, थाना–सिसई, जिला–गुमला अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला अनुपस्थित। इस वाद की पिछली सुनवाई दिनांक–30.01.2024 को हुई थी। जिसमें आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला द्वारा समर्पित प्रतिवेदन शिकायतकर्ता को वाट्सएप्प के माध्यम से भेजा था और शिकायतकर्ता से जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन के विरूद्ध अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता को वाट्सएप्प के माध्यम से भेजा गया प्रतिवेदन प्राप्त हो गया, यह वाट्सएप्प का स्टेटस बता रहा है। ऐसे में शिकायतकर्ता का पक्ष न आना, आयोग को इस निष्कर्ष पर पहुँचने को बाध्य कर रहा है कि शिकायतकर्ता को इस संदर्भ में अपना पक्ष नहीं रखना है या वे जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन से संतुष्ट हैं। उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx155	